न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 05/2018

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान

प्रार्थी

बनाम

1. हरिप्रसाद पुत्र कजोड जाति महावर निवासी चूडियावास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।

अप्रार्थी

<u>रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 82 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 सहपठित धारा 232 आरटीए</u>

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
: अप्रार्थी अनुपस्थित।

<u>:–निर्णयः–</u> दिनांकः 5.8.2024

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार(भूमिधारी) तहसील नांगल राजावतान ने प्रतिनिधि राजस्थान सरकार की हैसियत से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की अनुपालना में यह रेफरेन्स इस न्यायालय में पेश किया है।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। किन्तु अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ और न ही अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया और ना ही बहस के दौरान उपस्थित हुआ। बहस राजकीय अधिवक्ता सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम चूडियावास तहसील नांगल राजावतान स्थित भूमि खसरा नम्बर 696 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, सम्वत 2003 मे रिकार्ड थी। भूमि एकीकरण सम्वत 2018 में उक्त भूमि के परिवर्तित खसरा नम्बर 105 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा किस्मु गै0मु0 नला बने। भू–प्रबन्ध अभिलेख सम्वत 2041–2060 की संक्रिया में खसरा नम्बर 105 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा में से खसरा नम्बर 449 रकबा 0.15 है. बना, जो उपखण्ड अधिकारी दौसा के आवंटन आदेश दिनांक 30.06.2000 के द्वारा अप्रार्थी कमलेश पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी अभयपुरा तहसील नांगल राजावतान के नाम आवंटन किया जाकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 90 दिनांक 04.10.2000 के द्वारा अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। नामान्तरकरण संख्या 158 दिनांक 18.09.2003 के द्वारा अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। ज[illegible] 2076 में उक्त भूमि अप्रार्थी कमलेश पुत्र रामफूल जाति मीना के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। [illegible] खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि पूर्व में गैर मुमकिन नला दर्ज रिकार्ड रही है। माननीय राजस्थान [illegible] न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं.1536/2003 अब्दुल [illegible] में पारित निर्णय दिनांक [illegible]2004 से राज्य सरकार को ऐसे प्रकरणों को निरस्त कर ऐसी जल[illegible] गैर मुमकिन भूमियों को [illegible] पूर्वानुसार दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये है। अतः तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण स्वीकार फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:30:53 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस राजकीय अधिवक्ता पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम अभयपुरा तहसील नांगल राजावतान स्थित भूमि खसरा नम्बर 286 रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा, सम्वत 2003 में गै0मु0 नला दर्ज रिकार्ड थी। भूमि एकीकरण सम्वत 2018 में उक्त भूमि के परिवर्तित खसरा नम्बर 105 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा किस्मु गै0मु0 नला बने। भू–प्रबन्ध अभिलेख सम्वत 2041–2060 की संक्रिया में खसरा नम्बर 105 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा में से खसरा नम्बर 449 रकबा 0.15 है. बना, जो उपखण्ड अधिकारी दौसा के आवंटन आदेश दिनांक 30.06.2000 के द्वारा अप्रार्थी कमलेश पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी अभयपुरा तहसील नांगल राजावतान के नाम आवंटन किया जाकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 90 दिनांक 04.10.2000 के द्वारा अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। नामान्तरकरण संख्या 158 दिनांक 18.09.2003 के द्वारा अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 में उक्त भूमि अप्रार्थी कमलेश पुत्र रामफूल जाति मीना के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि पूर्व में गैर मुमकिन नला दर्ज रिकार्ड रही है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है कि विवादग्रस्त आराजी पूर्व में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकॉर्ड रही है व वर्तमान में अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व मण्डल को रेफर किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावें एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 05.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:30:53 IST
Reason: SelfAttested